# कार्यालय प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, अलीगढ।

**पत्रांक 2582 /14–10 ,अलीगढः दिनांकः मार्चः 18 ,2017**

सेवा में,

परियोजना निदेशक,
भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण,
पी0आई0यू0, आशियाना, फेस–1,
निकट डाप का मंदिर, कॉठ रोड,
मुरादाबाद ।

विषयः– लोक निर्माण विभाग को अलीगढ़–मुरादाबाद सैक्शन (एन0एच0–93) के चौड़ीकरण किये जाने हेतु अलीगढ़ में कि0मी0 85.700 से 100.372 तक 7.4226 है0 संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग व 250 वृक्षों के पातन, बुलन्दशहर में कि0मी0 120.00 से 133.660 तक 3.5760 है0 संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग व 61 वृक्षों के पातन, सम्भल में कि0मी0 142.220 से 205.00 तक 32.7792 है0 संरक्षित वन भूमि पर गैर वानिकी प्रयोग व 3777 वृक्षों के पातन तथा मुरादाबाद में कि0मी0 205.00 से 232.00 तक 14.4852 है0 संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग व 454 वृक्षों के पातन कुल 58.2630 है0 संरक्षित वन भूमि एव 4542 वृक्षों के पातन की अनुमति।

संदर्भ– भारत सरकार प्रर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य) की पत्र सं0–8बी/यूपी0/06/93/2016/एफ0सी0/543 दि0 09–03–2017.

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र (छायाप्रति संलग्न) का अवलोकन करें। इस सम्बंध में अवगत कराना है कि विषयक प्रकरण में भारत सरकार प्रर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के उक्त सन्दर्भित पत्र दि 09–03–2017 द्वारा कतिपय शर्तों के अधीन सैद्धान्तिक स्वीकृति निर्गत की गई है। सैद्धान्तिक स्वीकृति में उल्लिखित समस्त शर्तों का अनुपालन आपसे वांछनीय है। कृपया निर्धारित शर्त सं0–1 से 6 तक निम्न प्रकार अनुपालन आख्या इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। तथा मुख्य वन संरक्षक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी उ0प्र0 लखनऊ की पत्र सं0–384/2–37–2 (ई–पेमेन्ट पोर्टल) दि0 20–09–2015 ( छायाप्रति संलग्न ) में दिये गये निर्देशानुसार वांछित सूचना /अभिलेख यथाशीघ्र इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। ताकि इस सम्बंध में अग्रिम कार्यवाही की जा सके।

1. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वन विभाग के पक्ष में प्रभावित वन भूमि के दुगुने अवनत वन भूमि (58.2630X 2= 116.526 है0 ) अर्थात् 117.004 है0 पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रख–रखाव हेतु आवश्यक धनराशि (इस प्रभाग की दुगने अवनत वन भूमि अर्थात् **14.8452 है0** भूमि पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों के अनुरक्षण की धनराशि रू0– **39,89,000/–**) (वर्तमान दरों को समाहित करते हुए यथासंशोधित ) ई–पेमेन्ट पोर्टल के माध्यम से जमाकर पावती रसीद की प्रति इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
2. (क) प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय की रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई0ए0सं0–566 एवं भारत सरकार के पत्र सं–5–3/2007–एफ0सी0 दिनांक 05–02–2009 के तहत में दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0) की धनराशि (इस प्रभाग की एन0पी0वी0 की धनराशि रू0– **59,60,348/–**) ई–पेमेन्ट पोर्टल के माध्यम से जमाकर पावती रसीद की प्रति इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

   (ख) इसके उपरान्त याचक विभाग द्वारा ऑन लाइन पोर्टल के माध्यम से जमा की गयी धनराशि की ई–रसीद की छायाप्रति सहित सैद्धान्तिक स्वीकृती की अनुपालन आख्या (जिसमें जमा की गयी धनराशि का मदवार विवरण अर्थात् क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु जमा धनराशि का विवरण, दिया गया हो) प्रेषित की जाये। तदोपरान्त ही विधिवत् स्वीकृति पर भारत सरकार द्वारा विचार किया जायेगा।

   (ग) प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा इस आशय का वचन बद्धता प्रमाण पत्र (सक्षम स्तर द्वारा) प्रस्तुत करेंगे कि यदि एन0पी0वी0 की दरों में बढ़ोत्तरी होती है तो बढ़ी हुई धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जायेगी।

3– प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा विधिवत् स्वीकृती जारी होने के बाद प्रस्तावित वन क्षेत्रों का सीमा स्तम्भों द्वारा सीमांकन प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर किया जायेगा। अक्षांश एवं देशान्तर भी मानचित्र एवं पिलर पर दर्शाया जायेगा। और वन क्षेत्र में लगे प्रत्येक स्तम्भ के आगे (forward) एवं पीछे (backward ) उनकी दिशा (bearing) भी लिखनी होगी। इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण पत्र भी इस कार्यालय में प्रस्तुत करें।

4– प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय का वचन बद्धता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेंगे कि आई0आर0सी0 के मानकों के अनुरूप तथा माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एन0जी0टी0) सेन्ट्रल जोन बैंच , भोपाल द्वारा प्रार्थना पत्र सं0–27/2015 बाबूलाल जाजू बनाम राजस्थान सरकार में दिनांक 16–11–2015 में दिये गये आदेश की अनुपालना में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा स्वयं के व्यय पर वन विभाग की निगरानी में सड़क के दोनो तरफ तथा मिडेन पर (यदि उपलब्ध है तो) वृक्षारोपण किया जायेगा।

5– प्रयोक्ता अभिकरण एवं राज्य सरकार वर्तमान तथा भविष्य में लागू सभी नियम कानून तथा दिशा निर्देशों का पालन करेंगी।

6– राज्य सरकार प्रकरण में किसी भी प्रकार का शासनादेश जारी करने से पूर्व निर्वाचन आयोग द्वारा जारी आचार संहिता के नियमो का पूर्ण रूपेण पालन करेंगी।

Deepak/D/n/Sc-6.doc1

उक्त प्रकरण में दो लेन पेव्ड शोल्डर में चौड़ीकरण कार्य के अन्तर्गत जनपद अलीगढ में बाधक वृक्षो के पातन की सैद्धान्तिक स्वीकृति भारत सरकार के उक्त संदर्भित पत्र के माध्यम से निर्गत की जा चुकी है। उक्त प्रस्ताव में सम्मलित बाधक वृक्षों /पौधों का विवरण निम्नानुसार है।

| क्रम सं0 | जनपद | वृक्षों की सं0 (गर्त > 30 से0मी0) | पौधों की सं0 (गर्त < 30 से0मी0) |
|---|---|---|---|
| 1 | अलीगढ | 194 | 56 |

छपान:- बाधक वृक्षों के छपान हेतु धनराशि *(प्रमुख वन संरक्षक, उ0प्र0 लखनऊ के पत्रांक-प-105/16-57 (लाट) दि0 23-9-2014 के बिन्दु सं0-2 में हुए संशोधन के अनुसार रू0 10/- प्रति वृक्ष के आधार पर) 250 वृक्ष दर 10/- रू0 प्रति वृक्ष)* रू0 2500/- का बैंक ड्राफ्ट जो कि प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, अलीगढ़ के नाम देय हो प्रस्तुत करें।

उपरोक्त सभी शर्तों के परिपूर्ण एवं बिन्दुवार सुस्पष्ट परिपालन आख्या पत्रांक-II/FC/ROC/95-2011/Part-V/1227 दिनांक 02-02-2016 के अनुसार प्राप्त होने पर ही वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत विधिवत् स्वीकृति जारी की जायेगी। वाचक विभाग को वन भूमि हस्तान्तरण की कार्यवाही राज्य सरकार द्वारा तब तक नहीं की जायेगी। जब तक वन भूमि हस्तान्तरण के विधिवत आदेश भारत सरकार द्वारा जारी नहीं किये जाते है।

कृपया उल्लिखित समस्त शर्तों का अनुपालन अतिशीघ्र करने का कष्ट करें ताकि शर्तों के परिपूर्ण एवं बिन्दुवार सुस्पष्ट परिपालन आख्या भारत सरकार को प्रेषित की जा सके। परिपालन आख्या के उपरान्त ही वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के तहत् भारत सरकार द्वारा विधिवत् स्वीकृति जारी की जायेगी।

भवदीय,

(एस0डी0 त्रिपाठी)
प्रभागीय निदेशक,
सामाजिक वानिकी प्रभाग,
अलीगढ़।

पत्रांक (1)/ दिनांकित।

1- प्रतिलिपि- मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0 लखनऊ को विषयक क्रम में सूचनार्थ प्रेषित ।
2- प्रतिलिपि- वन संरक्षक, अलीगढ़ वृत्त, अलीगढ़ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3- प्रतिलिपि- प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, मुरादाबाद को उनके पत्र सं0 2092/14-1 दिनांक 16.03.2017 द्वारा सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(एस0डी0 त्रिपाठी)
प्रभागीय निदेशक,
सामाजिक वानिकी प्रभाग,
अलीगढ़।

ई–मेल संशोधित

कार्यालय प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, बुलन्दशहर।
पत्रांकः 2819 /14-1 दिनांक, बुलन्दशहर, 25 मार्च ,2017।
सेवा में,

परियोजना निदेशक,
भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग, प्राधिकरण
पी0आई0यू0, आशियाना, फेस–1,
निकट डाप का मन्दिर, कॉठ रोड,
मुरादाबाद।

विषयः– लोक निर्माण विभाग को अलीगढ–मुरादाबाद सैक्शन (एन0एच0–93) के चौडीकरण किये जाने हेतु अलीगढ में कि0मी0 85.700 से 100.372 तक 7.4226 है0 संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग व 250 वृक्षों के पातन बुलन्दशहर में किमी0 126.00 से 133.860 तक 3.5760 है0 संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग व 61 वृक्षों के पातन, सम्भल में किमी0 142.220 से 205.00 तक 32.7792 है0 संरक्षित वन भूमि पर गैर वानिकी प्रयोग व 3777 वृक्षों के पातन तथा मुरादाबाद में किमी0 205.00 से 232.00 तक 14.4852 है0 संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग व 454 वृक्षों के पातन कुल 58.2630 है0 संरक्षित वन भूमि एवं 4542 वृक्षों के पातन की अनुमति।

सन्दर्भः– भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य) की पत्र सं0 –8बी/यू0पी0/06/93/2016/एफ0सी0/543 दिनांक 09.03.2017 एवं प्रभागीय निदेशक, सा0वा0 प्रभाग, मुरादाबाद का पत्रांक 2092/14–1, दिनांक 16.03.2017 व परियोजना निदेशक, भारतीय राष्टीय राजमार्ग प्राधिकरण, मुरादाबाद का पत्रांक 31013/1/2010/प0कि0इ0–मुरादाबाद/6853, दिनांक 09.03.2017 इस कार्यालय का पत्रांक 2703/14–1, दिनांक 18.03.2017

महोदय,

उपरोक्त विषयक भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य) की पत्र सं0 –8बी/यू0पी0/06/93/2016/एफ0सी0/543 दिनांक 09.03.2017 के सन्दर्भित पत्र (छाया प्रति संलग्न) का अवलोकन करें। इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि विषयक प्रकरण में भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के उक्त सन्दर्भित पत्र दि0 09.03.2017 द्वारा कतिपय शर्तो के अधीन सैद्धान्तिक स्वीकृति निर्गत की गयी है। सैद्धान्तिक स्वीकृति में उल्लिखित समस्त शर्तो का अनुपालन आपसे वांछनीय है। कृप्या निर्धारित शर्त सं0 –1 से 6 तक निम्न प्रकार अनुपालन आख्या इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, तथा मुख्य वन संरक्षक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उ0प्र0 लखनऊ की पत्र सं0 384/2–37–2(ई–पेमेन्ट पोर्टल) दिनांक 20.09.2016 में दिये गये निर्देशानुसार वांछित सूचना/अभिलेख यथाशीघ्र इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। ताकि इस सम्बन्ध में अग्रिम कार्यवाही की जा सके।

1. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वन विभाग के पक्ष में प्रभावित वन भूमि के दुगुने अवनत वन भूमि (58.2630X2=116.526 है0) अर्थात 117.004 है0 पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं 10 वर्षो तक रख–रखाव हेतु आवश्यक धनराशि (इस प्रभाग की दुगने अवनत वन भूमि अर्थात 7.152 है0 भूमि पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं 10 वर्षो के अनुरक्षण की धनराशि रू0 24,34,242/–) (वर्तमान दरों को समाहित करते हुए यथासंशोधित) ई पेमेन्ट पोर्टल के माध्यम से जमाकर पावती रसीद की प्रति इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें। यह भी अवगत कराना है कि प्रभागीय वनाधिकारी सम्भल, अलीगढ व मुरादाबाद द्वारा अपने प्रभाग के अन्तर्गत क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं 10 वर्षो तक रख–रखाव हेतु आवश्यक धनराशि की मांग याचक विभाग से कर वांछित सूचना इस कार्यालय को उपलब्ध करायी जायेगी।

2.(क) प्रयोक्ता अभीकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई0ए0सं0 566 एवं भारत सरकार के पत्र सं0 5 3/2007 एफ0सी0 दिनांक 05.02.2009 के तहत में दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0) की धनराशि (इस प्रभाग की एन0पी0वी0 की धनराशि रू0 22,38,576/) ई पेमेन्ट पोर्टल के माध्यम से जमाकर पावती रसीद की प्रति इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

2(ख) इसके उपरान्त याचक विभाग द्वारा ऑन लाइन पोर्टल के माध्यम से जमा की गयी धनराशि की ई–रसीद की छायाप्रति सहित सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या जिसमें जमा की गयी धनराशि का मदवार विवरण अर्थात क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु जमा धनराशि का विवरण दिया गया हो) प्रेषित की जाये। तदोपरान्त ही विभिन्न स्वीकृति पर विचार किया जायेगा।

2(ग) प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा इस आशय का वचन बद्धता प्रमाण पत्र (सक्षम स्तर द्वारा) प्रस्तुत करेंगे कि यदि एन0पी0वी0 की दरों से बढोत्तरी होती है तो बढी हुई धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जायेगी।

3. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा विधिवत स्वीकृति जारी होने के बाद प्रस्तावित वन क्षेत्रों का सीमा स्तम्भों द्वारा सीमांकन प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा किया जायेगा। अक्षांश एवं देशान्तर भी मानचित्र एवं पिलर पर दर्शाया जायेगा, और वन क्षेत्र में लगे प्रत्येक स्तम्भ के आगे (Forward) एवं पीछे (Backward) उनकी दिशा (Bearing) भी लिखनी होगी।

4. प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय का वचन बद्धता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेंगे कि आई0आर0सी0 के मानकों के अनुरूप तथा माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एन0जी0टी0) सेन्ट्रल जोन बैंच, भोपाल द्वारा प्रार्थना पत्र सं0 –27/2015 बाबूलाल जाजू बनाम राजस्थान सरकार में दिनांक 16.11.2015 में दिये गये आदेश की अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा स्वयं के व्यय पर वन विभाग की निगरानी में सड़क के दोनों तरफ तथा Median (मिडेन) पर (यदि उपलब्ध है तो) वृक्षारोपण किया जायेगा।

5. प्रयोक्ता अभिकरण एवं राज्य सरकार वर्तमान तथा भविष्य में लागू सभी नियम कानून तथा दिशा निर्देशों का पालन करेंगी।

6. राज्य सरकार प्रकरण में किसी भी प्रकार का शासनादेश जारी करने से पूर्व निर्वाचन आयोग द्वारा जारी आचार संहिता के नियमों का पूर्ण रूपेण पालन करेंगी।

उक्त प्रकरण में दो लेन मेरठ में चौडीकरण कार्य के अन्तर्गत जनपद अलीगढ, बुलन्दशहर, सम्भल व मुरादाबाद में बाधक वृक्षों के पातन की सैद्धान्तिक स्वीकृति भारत सरकार के उक्त संदर्भित पत्र के माध्यम से निर्गत की जा चुकी है। उक्त प्रस्ताव में सम्मलित बाधक वृक्षों/पौधो का विवरण निम्नवत् है:–

| क्र0सं0 | जनपद | वृक्षों की सं0 (गर्त >30 सेंमी0) | पौधों की सं0 (गर्त < 30 सेंमी0) |
|---|---|---|---|
| 1 | अलीगढ | 194 | 56 |
| 2 | बुलन्दशहर | 52 | 09 |
| 3 | सम्भल | 2728 | 1049 |
| 4 | मुरादाबाद | 446 | 08 |
| योग– | | 3420 | 1122 |

**छपान:–** बाधक वृक्षों के छपान हेतु धनराशि (प्रमुख वन संरक्षक, उ0प्र0 लखनऊ के पत्रांक प–105/16–57 (लाट) दि0 23.09.2014 के बिन्दु सं0–2 में हुए संशोधन के अनुसार रू0 10/– प्रति वृक्ष के आधार पर) 61 वृक्ष दर 10/–रू0 प्रति वृक्ष) रू0 610/– का बैंक ड्राफ्ट जो कि प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, बुलन्दशहर के नाम देय हो प्रस्तुत करें।

उपरोक्त सभी शर्तों के परिपूर्ण एवं बिन्दुवार सुस्पष्ट परिपालन आख्या पत्रांक 11/FC/ROC/95-2011/Part-v/1227 02-02-2015 के अनुसार प्राप्त होने पर ही वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत विधिवत् स्वकृति जारी की जायेगी। याचक विभाग को वन भूमि हस्तान्तरण की कार्यवाही राज्य सरकार द्वारा तब तक नही की जायेगी। जब तक वन भूमि हस्तान्तरण के विधिवत् आदेश भारत सरकार द्वारा जारी नही किये जाते है।

कृपया उल्लिखित समस्त शर्तो का अनुपालन अतिशीघ्र करने का कष्ट करें ताकि शर्तों के परिपूर्ण एवं बिन्दुवार सुस्पष्ट परिपालन आख्या भारत सरकार को प्रेषित की जा सके। परिपालन आख्या के उपरान्त ही वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत भारत सरकार द्वारा विधिवत् स्वीकृति जारी की जायेगी।

संलग्नक–उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

प्रभागीय निदेशक,
सामाजिक वानिकी प्रभाग
बुलन्दशहर।

पत्रांक: 2819 / दिनांकित।

प्रतिलिपि मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0 लखनऊ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि वन संरक्षक एवं क्षेत्रीय निदेशक, अलीगढ, मेरठ एवं मुरादाबाद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि प्रभागीय वनाधिकारी/निदेशक, अलीगढ सम्भल एवं मुरादाबाद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि उप प्रभागीय वनाधिकारी, खुर्जा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि क्षेत्रीय वन अधिकारी, डिबाई को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

s/sps/surv

प्रभागीय निदेशक,
सामाजिक वानिकी प्रभाग
बुलन्दशहर।

# कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, सम्भल वन प्रभाग, सम्भल।

पत्रांक–1262/14–1 , (कैम्प चन्दौसी) दिनांक, 17 मार्च 2017

सेवा में,

परियोजना निदेशक,
भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण,
पी०आई०यू०, आशियाना, फेस–1,
निकट साप का मंदिर, कॉठ रोड,
मुरादाबाद ।

विषय:– लोक निर्माण विभाग को अलीगढ़–मुरादाबाद सैक्शन (एन०एच०–93) के चौड़ीकरण किये जाने हेतु अलीगढ़ में कि0मी0 85.700 से 100.372 तक 7.4226 है0 संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग व 260 वृक्षों के पातन, बुलन्दशहर में कि0मी0 120.00 से 133.660 तक 3.5760 है0 संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग व 61 वृक्षों के पातन, सम्भल में कि0मी0 142.220 से 205.00 तक 32.7792 है0 संरक्षित वन भूमि पर गैर वानिकी प्रयोग व 3777 वृक्षों के पातन तथा मुरादाबाद में कि0मी0 205.00 से 232.00 तक 14.4852 है0 संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग व 454 वृक्षों के पातन कुल 58.2630 है0 संरक्षित वन भूमि एवं 4542 वृक्षों के पातन की अनुमति।

संदर्भ:– भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य) की पत्र सं0–8बी/यू0पी0/06/93/2016/एफ0सी0/543 दि0 09–03–2017.

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र (छायाप्रति संलग्न) का अवलोकन करें। इस सम्बंध में अवगत कराना है कि विषयक प्रकरण में भारत सरकार प्रर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के उक्त सन्दर्भित पत्र दि 09–03–2017 द्वारा कतिपय शर्तों के अधीन सैद्धान्तिक स्वीकृति निर्गत की गई है। सैद्धान्तिक स्वीकृति में उल्लिखिति समस्त शर्तों का अनुपालन आपसे वांछनीय है। कृपया निर्धारित शर्त सं0–1 से 6 तक निम्न प्रकार अनुपालन आख्या इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। तथा मुख्य वन संरक्षक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी उ0प्र0 लखनऊ की पत्र सं0–384/2–37–2 (ई–पैमेन्ट पोर्टल) दि0 20–09–2015 ( छायाप्रति संलग्न ) में दिये गये निर्देशानुसार वांछित सूचना /अभिलेख यथाशीघ्र इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। ताकि इस सम्बंध में अग्रिम कार्यवाही की जा सके।

1. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वन विभाग के पक्ष में प्रभावित वन भूमि के दुगुने अवनत वन भूमि (58.2630X 2= 116.526 है0 ) अर्थात् 117.004 है0 पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रख–रखाव हेतु आवश्यक धनराशि **(सम्भल वन प्रभाग की दुगने अवनत वन भूमि अर्थात् 66.00 है0 भूमि पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों के अनुरक्षण की धनराशि रू0– 11023000/–)** (वर्तमान दरों को समाहित करते हुए यथासंशोधित ) ई–पेमेन्ट पोर्टल के माध्यम से जमाकर पावती रसीद की प्रति इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

2 (क) प्रयोक्ता अभीकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई0ए0सं0–566 एवं भारत सरकार के पत्र सं–5–3/2007–एफ0सी0 दिनांक 05–02–2009 के तहत में दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य **(एन0पी0वी0) की धनराशि (सम्भल वन प्रभाग की एन0पी0वी0 की धनराशि रू0– 20519779/–)** ई–पेमेन्ट पोर्टल के माध्यम से जमाकर पावती रसीद की प्रति इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

2 (ख) इसके उपरान्त याचक विभाग द्वारा ऑन लाइन पोर्टल के माध्यम से जमा की गयी धनराशि की ई–रसीद की छायाप्रति सहित सैद्धान्तिक स्वीकृती की अनुपालन आख्या (जिसमें जमा की गयी धनराशि का मदवार विवरण अर्थात् क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु जमा धनराशि का विवरण, दिया गया हो) प्रेषित की जाये। तदोपरान्त ही विधिवत् स्वीकृती पर विचार किया जायेगा।

2 (ग) प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा इस आशय का वचन बद्धता प्रमाण पत्र (सक्षम स्तर द्वारा) प्रस्तुत करेंगे कि यदि एन0पी0वी0 की दरों में बढ़ोत्तरी होती है तो बढ़ी हुई धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जायेगी।

3– प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा विधिवत् स्वीकृती जारी होने के बाद प्रस्तावित वन क्षेत्रों का सीमा स्तम्भों द्वारा सीमांकन प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा किया जायेगा। अक्षांश एवं देशान्तर भी मानचित्र एवं पिलर पर दर्शाया जायेगा। और वन क्षेत्र में लगे प्रत्येक स्तम्भ के आगे (forward) एवं पीछे (backward ) उनकी दिशा (bearing) भी लिखनी होगी।

4– प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय का वचन बद्धता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेंगे कि आई0आर0सी0 के मानकों के अनुरूप तथा माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एन0जी0टी0) सेन्ट्रल जोन बैंच , भोपाल द्वारा प्रार्थना पत्र सं0–27/2015 बाबूलाल जाजू बनाम राजस्थान सरकार में दिनांक 10–11–2015 में दिये गये आदेश की अनुपालना में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा स्वंय के व्यय पर वन विभाग की निगरानी में सड़क के दोनों तरफ तथा मिडेन पर (यदि उपलब्ध है तो) वृक्षारोपण किया जायेगा।

5– प्रयोक्ता अभिकरण एवं राज्य सरकार वर्तमान तथा भविष्य में लागू सभी नियम कानून तथा दिशा निर्देशों का पालन करेंगी।

6– राज्य सरकार प्रकरण में किसी भी प्रकार का शासनादेश जारी करने से पूर्व निर्वाचन आयोग द्वारा जारी आचार संहिता के नियमों का पूर्ण रूपेण पालन करेंगी।

उक्त प्रकरण में दो लेन पेव्ड सोल्डर में चौड़ीकरण कार्य के अन्तर्गत जनपद ,सम्भल में बाधक वृक्षों के पातन की सैद्धान्तिक स्वीकृती भारत सरकार के उक्त संदर्भित पत्र के माध्यम से निर्गत की जा चुकी है। उक्त प्रस्ताव में सम्मलित बाधक वृक्षों /पौधों का विवरण निम्नानुसार है।

| क्रम सं0 | जनपद | वृक्षों की सं0 (गर्त > 30 सें0मी0) | पौधों की सं0 (गर्त < 30 सें0मी0) |
|---|---|---|---|
| 1 | सम्भल | 3777 | 1049 |

छपान:– बाधक वृक्षों के छपान हेतु धनराशि **(प्रमुख वन संरक्षक, उ0प्र0 लखनऊ के पत्रांक–प–105/16–57 (लाट) दि0 23–9–2014 के बिन्दु सं0–2 में हुए संशोधन के अनुसार रू0 10/– प्रति वृक्ष के आधार पर) 3777 वृक्ष दर 10/– रू0 प्रति वृक्ष) रू0 37770/– का बैंक ड्राफ्ट जो कि प्रभागीय वनाधिकारी, सम्भल वन प्रभाग, सम्भल के नाम देय हो प्रस्तुत करें।**

उपरोक्त सभी शर्तों के परिपूर्ण एवं बिन्दुवार सुस्पष्ट परिपालन आख्या पत्रांक–II/FC/ROC/95-2011/part-v/1227 02–02–2016 के अनुसार प्राप्त होने पर ही वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत विधिवत स्वीकृती जारी की जायेगी। याचक विभाग को वन भूमि हस्तान्तरण की कार्यवाही राज्य सरकार द्वारा तब तक नही की जायेगी। जब तक वन भूमि हस्तान्तरण के विधिवत आदेश भारत सरकार द्वारा जारी नही किये जाते है।

कृपया उल्लिखित समस्त शर्तों का अनुपालन अतिशीघ्र करने का कष्ट करें ताकि शर्तों के परिपूर्ण एवं बिन्दुवार सुस्पष्ट परिपालन आख्या भारत सरकार को प्रेषित की जा सके। परिपालन आख्या के उपरान्त ही वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के तहत भारत सरकार द्वारा विधिवत स्वीकृति जारी की जायेगी।

भवदीय,

(एम0 पी0 सिंह)
प्रभागीय वनाधिकारी,
सम्भल वन प्रभाग, सम्भल।

पत्रांक / उक्तदिनांकित।

1– प्रतिलिपि– मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0 लखनऊ को विषयक क्रम मे सूचनार्थ प्रेषित।

2– प्रतिलिपि– वन संरक्षक एवं क्षेत्रीय निदेशक, मुरादाबाद क्षेत्र, मुरादाबाद को उपरोक्त संदर्भित पत्र के क्रम मे सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

3– प्रतिलिपि– प्रभागीय निदेशक, मुरादाबाद वन प्रभाग, मुरादाबाद को उनके पत्रांक–2092/14–1 दिनांक–16.03.2017 के क्रम मे सूचनार्थ प्रेषित।

4– क्षेत्रीय वनाधिकारी, चन्दौसी/गुन्नौर को सूचनार्थ प्रेषित।

(एम0 पी0 सिंह)
प्रभागीय वनाधिकारी,
सम्भल वन प्रभाग, सम्भल।

## कार्यालय प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, मुरादाबाद।

(एल–25, रामगंगा विहार–प्रथम फेज, निकट सोनकपुर स्टेडियम, काँठ रोड, मुरादाबाद–दूरभाष संख्या–0591–2450066)

पत्रांक 2092 /14-1 दिनांक, मुरादाबाद, मार्च, 16, 2017

सेवा में,

परियोजना निदेशक,
भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण,
पी०आई०यू०, आशियाना, फेस–1,
निकट डाम का मंदिर, काँठ रोड,
मुरादाबाद।

विषय: लोक निर्माण विभाग को अलीगढ़–मुरादाबाद सैक्शन (एन०एच०–93) के चौड़ीकरण किये जाने हेतु अलीगढ़ में कि०मी० 85.700 से 100.372 तक 7.4226 है० संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग व 250 वृक्षों के पातन, बुलन्दशहर में कि०मी० 120.00 से 133.660 तक 3.5760 है० संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग व 61 वृक्षों के पातन, सम्भल में कि०मी० 142.220 से 205.00 तक 32.7792 है० संरक्षित वन भूमि पर गैर वानिकी प्रयोग व 3777 वृक्षों के पातन तथा मुरादाबाद में कि०मी० 205.00 से 232.00 तक 14.4852 है० संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग व 454 वृक्षों के पातन कुल 58.2630 है० संरक्षित वन भूमि एवं 4542 वृक्षों के पातन की अनुमति।

संदर्भ: भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य) की पत्र सं०–8बी/यू०पी०/06/93/2016/एफसी०/543 दि० 09–03–2017.

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र (छायाप्रति संलग्न) का अवलोकन करें। इस सम्बंध में अवगत कराना है कि विषयक प्रकरण में भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के उक्त सन्दर्भित पत्र दि 09–03–2017 द्वारा कतिपय शर्तों के अधीन सैद्धान्तिक स्वीकृति निर्गत की गई है। सैद्धान्तिक स्वीकृति में उल्लिखित समस्त शर्तों का अनुपालन आपसे वांछनीय है। कृपया निर्धारित शर्त सं०–1 से 6 तक निम्न प्रकार अनुपालन आख्या इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। तथा मुख्य वन संरक्षक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी उ०प्र० लखनऊ की पत्र सं०–384/2–37–2 (ई–पेमेन्ट पोर्टल) दि० 20 09 2015 ( छायाप्रति संलग्न ) में दिये गये निर्देशानुसार वांछित सूचना /अभिलेख यथाशीघ्र इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। ताकि इस सम्बंध में अग्रिम कार्यवाही की जा सके।

1. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वन विभाग के पक्ष में प्रभावित वन भूमि के दुगुने अवनत वन भूमि (58.2630X 2= 116.526 है० ) अर्थात् 117.004 है० पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रख–रखाव हेतु आवश्यक धनराशि (इस प्रभाग की दुगने अवनत वन भूमि अर्थात् 29.00 है० भूमि पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों के अनुरक्षण की धनराशि रू०– 89,14,905/–) (वर्तमान दरों को समाहित करते हुए यथासंशोधित ) ई–पेमेन्ट–पोर्टल के माध्यम से जमाकर पावती रसीद की प्रति इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें। यह भी अवगत कराना है कि प्रभागीय वनाधिकारी सम्भल, अलीगढ़ व बुलन्दशहर द्वारा अपने प्रभाग के अन्तर्गत क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रख–रखाव हेतु आवश्यक धनराशि की मांग याचक विभाग से कर वांछित सूचना इस कार्यालय को उपलब्ध करायी जायेगी।

2 (क) प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई०ए०सं०–566 एवं भारत सरकार के पत्र सं 5–3/2007–एफसी० दिनांक 05–02–2009 के तहत में दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन०पी०वी०) की धनराशि (इस प्रभाग की एन०पी०वी० की धनराशि रू० 90,07,730/–) ई–पेमेन्ट पोर्टल के माध्यम से जमाकर पावती रसीद की प्रति इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें। यह भी अवगत कराना है कि प्रभागीय वनाधिकारी सम्भल, अलीगढ़ व बुलन्दशहर द्वारा अपने प्रभाग के अन्तर्गत शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन०पी०वी०) की आवश्यक धनराशि की मांग याचक विभाग से कर वांछित सूचना इस कार्यालय को उपलब्ध करायी जायेगी।

2 (ख) इसके उपरान्त याचक विभाग द्वारा ऑन लाइन पोर्टल के माध्यम से जमा की गयी धनराशि की ई–रसीद की छायाप्रति सहित सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या (जिसमें जमा की गयी धनराशि का मदवार विवरण अर्थात् क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु जमा धनराशि का विवरण, दिया गया हो) प्रेषित की जाये। तदोपरान्त ही विधिवत् स्वीकृति पर विचार किया जायेगा।

2 (ग) प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा इस आशय का वचन बद्धता प्रमाण पत्र (सक्षम स्तर द्वारा) प्रस्तुत करेंगे कि यदि एन०पी०वी० की दरों में बढ़ोत्तरी होती है तो बढ़ी हुई धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जायेगी।

3. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा विधिवत् स्वीकृति जारी होने के बाद प्रस्तावित वन क्षेत्रों का सीमा स्तम्भों द्वारा सीमांकन प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा किया जायेगा। ~~अक्षांश एवं देशान्तर भी मानचित्र एवं पिलर पर दर्शाया जायेगा। और वन क्षेत्र में लगे प्रत्येक स्तम्भ के~~ आगे (forward) एवं पीछे (backward ) उनकी दिशा (bearing) भी लिखनी होगी

4. ~~प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय का वचन बद्धता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेंगे कि आई०आर०सी० के मानकों के अनुरूप तथा माननीय राष्ट्रीय हरित अभिकरण~~ (एन०जी०टी०) सेन्ट्रल जोन बैंच , भोपाल द्वारा प्रार्थना पत्र सं०–27/2015 बाबूलाल जाजू बनाम राजस्थान सरकार में दिनांक 16–11–2015 में दिये गये आदेश की अनुपालना में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा स्वंय के व्यय पर वन विभाग ~~की निगरानी में सड़क के दोनो तरफ तथा मिडेन पर (यदि उपलब्ध है तो)~~ वृक्षारोपण किया जायेगा।

5. प्रयोक्ता अभिकरण एवं राज्य सरकार वर्तमान तथा भविष्य में लागू सभी नियम कानून तथा दिशा निर्देशों का पालन करेगी।

सरकार प्रकरण में किसी भी प्रकार का शासनादेश जारी करने से पूर्व निर्वाचन आयोग द्वारा जारी आचार संहिता के नियमों का पूर्ण रूपेण पालन करें।

उक्त प्रकरण में दो लेन पेव्ड शोल्डर में चौड़ीकरण कार्य के अन्तर्गत जनपद अलीगढ़,बुलन्दशहर,सम्भल व मुरादाबाद में बाधक वृक्षों के पातन की सैद्धान्तिक स्वीकृति भारत सरकार के उक्त संदर्भित पत्र के माध्यम से निर्गत की जा चुकी है। उक्त प्रस्ताव में सम्मलित बाधक वृक्षों /पौधों का विवरण निम्नानुसार है।

| क्र0 सं0 | जनपद | वृक्षों की सं0 (गर्त > 30 से0मी0) | पौधों की सं0 (गर्त < 30 से0मी0) |
|---|---|---|---|
| 1 | अलीगढ़ | 494 | 56 |
| 2 | बुलन्दशहर | 52 | 9 |
| 3 | सम्भल | 2720 | 1049 |
| 4 | मुरादाबाद | 440 | 00 |
| | कुल योग | 3420 | 1122 |

प्रमाण:- बाधक वृक्षों के छपान हेतु धनराशि *(प्रमुख वन संरक्षक, उ0प्र0 लखनऊ के पत्रांक–प–105/16–57 (लाट) दि0 23-9-2014 के बिन्दु सं0–2 में हुए संशोधन के अनुसार रू0 10/– प्रति वृक्ष के आधार पर) 454 वृक्ष दर 10/– रू0 प्रति वृक्ष)* रू0 4540/ का बैंक ड्राफ्ट जो कि प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, मुरादाबाद के नाम देय हो प्रस्तुत करें।यह भी अवगत कराना है कि प्रभागीय वनाधिकारी सम्भल, अलीगढ़ व बुलन्दशहर द्वारा अपने प्रभाग के अन्तर्गत बाधक वृक्षों के छपान हेतु आवश्यक धनराशि की मांग याचक विभाग से कर वांछित सूचना इस कार्यालय को उपलब्ध करायी जायेगी।

उपरोक्त सभी शर्तों के परिपूर्ण एवं बिन्दुवार सुस्पष्ट परिपालन आख्या पत्रांक–II/FC/ROC/95-2011/part-v/1227-02–02–2016 के अनुसार प्राप्त होने पर ही वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत विधिवत् स्वीकृति जारी की जायेगी। याचक विभाग को वन भूमि हस्तान्तरण की कार्यवाही राज्य सरकार द्वारा तब तक नहीं की जायेगी। जब तक वन भूमि हस्तान्तरण के विधिवत आदेश भारत सरकार द्वारा जारी नहीं किये जाते हैं।

कृपया उल्लिखित समस्त शर्तों का अनुपालन अतिशीघ्र करने का कष्ट करें ताकि शर्तों के परिपूर्ण एवं बिन्दुवार सुस्पष्ट परिपालन आख्या भारत सरकार को प्रेषित की जा सके। परिपालन आख्या के उपरान्त ही वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के तहत् भारत सरकार द्वारा विधिवत् स्वीकृति जारी की जायेगी।

भवदीय,

Brit C Raha

(डा0बी0सी0 ब्रह्मा)
प्रभागीय निदेशक,
सामाजिक वानिकी प्रभाग,
मुरादाबाद।

पत्रांक 2092 (1)/ दिनांकित।

1 प्रतिलिपि– मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0 लखनऊ को विषयक क्रम में सूचनार्थ प्रेषित ।

2 ~~प्रतिलिपि– वन संरक्षक एवं क्षेत्रीय निदेशक, अलीगढ़, मेरठ एवं मुरादाबाद को उपरोक्त संदर्भित पत्र के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु~~ प्रेषित।

3 प्रतिलिपि– प्रभागीय वनाधिकारी/निदेशक, अलीगढ़, सम्भल एवं बुलन्दशहर को विषयक क्रम में सूचनार्थ एवं इस आशय से कि आप भी अपने स्तर से प्रेषित कि भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के उपरोक्त सन्दर्भित पत्र(छायाप्रति संलग्न) में उल्लिखित समस्त शर्तों का अनुपालन (जैसा सी0ए0 एन0पी0वी0, छपान इत्यादि की धनराशि की मांग ) याचक विभाग से प्राप्त कर वांछित सूचना /अभिलेख यथाशीघ्र इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। ताकि इस सम्बंध में अग्रिम कार्यवाही की जा सके।

4 उप प्रभागीय वनाधिकारी, मुरादाबाद।

5 क्षेत्रीय वन अधिकारी, मुरादाबाद।

6 लेखा लिपिक, सा0वा0 प्रभाग, मुरादाबाद।

Brit C Raha

(डा0 बी0सी0 ब्रह्मा)
प्रभागीय निदेशक,
सामाजिक वानिकी प्रभाग,
मुरादाबाद।

O/C